

सरकारी अस्पतालों में भी मिलेंगी जेनेरिक दवाएं

प्रदेश में खुलेंगे एक हजार जन औषधि केंद्र, 500 अस्पतालों में जगह भी चिह्नित

अमर उजाला ब्यूरो
लखनऊ।

मरीजों को सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश में 1000 जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। जेनेरिक दवाओं के ये केंद्र जिला अस्पतालों व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में खुलेंगे। इसके लिए राज्य सरकार ने बृहस्पतिवार को केंद्र सरकार के साथ एमओयू किया। इसके लिए करीब 500 अस्पतालों में जगह भी खोज ली गई है। इन केंद्रों पर दवाएं बाजार से कई गुना कम कीमतों पर मिलेंगी।

केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक राज्यमंत्री मनसुख एल. मंडाविया व प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह की मौजूदगी में एनेक्सी मीडिया सेंटर में हुए कार्यक्रम में दोनों सरकारों के बीच यह करार हुआ। सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि इन केंद्रों के संचालन का जिम्मा बेरोजगार फार्मासिस्टों को दिया जाएगा। इसके लिए टेंडर जल्द आमंत्रित किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अब तक यूपी में 303 प्राइवेट जन औषधि केंद्र



प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में जेनेरिक दवाओं के केंद्र खोलने के लिए बृहस्पतिवार को राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच करार हुआ। इस दौरान मौजूद केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक राज्यमंत्री मनसुख एल. मंडाविया व प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह। अमर उजाला

खुल चुके हैं। अब सरकारी क्षेत्र में भी ये केंद्र खुलने जा रहे हैं। इसमें शुरुआत में 10 हजार रुपये महीना 25 माह तक जन औषधि केंद्र खोलने वालों को दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अभी प्रदेश में एक हजार जन औषधि केंद्र खोलने के

लिए एमओयू हुआ है। जरूरत पड़ी तो इससे ज्यादा केंद्र खोले जाएंगे। उन्होंने बताया कि अब तक 600 जेनेरिक दवाएं इन केंद्रों से मिलती हैं। इसे बढ़ाकर जल्द ही एक हजार किया जाएगा।

केंद्र खुलने से डॉक्टरों पर बढ़ेगा

जेनेरिक दवा लिखने का दबाव : स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि पहले प्रदेश में जन औषधि केंद्र खुल जाएं इसके बाद डॉक्टरों पर जेनेरिक दवा लिखने का दबाव बनाया जाएगा। अभी केंद्र न होने से डॉक्टरों

केंद्रीय रसायन राज्यमंत्री मनसुख मंडाविया व सिद्धार्थनाथ सिंह की मौजूदगी में हुआ एमओयू

पोस्ट ऑफिस व बस अड्डों पर भी खुलेंगे ये केंद्र

प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत आगे चलकर पोस्ट ऑफिस व बस स्टेशन जैसे सार्वजनिक स्थलों पर भी करीब तीन हजार जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। इन केंद्रों में 600 से अधिक दवाओं के साथ ही 154 सर्जिकल उपकरण मिल सकेंगे।

साचीज करेगा जन औषधि केंद्र खोलने में मदद

स्टेट एजेंसी फॉर कम्प्रीहेंसिव हेल्थ एंड इंटीग्रेटेड सर्विसेज (साचीज) जन औषधि केंद्र के लिए स्वास्थ्य विभाग को सहयोग व परामर्श देगा। वेंडर चयन में भी मदद करेगा। चयनित वेंडर को इन केंद्रों के संचालन के लिए जरूरी निर्देश भी साचीज देगा। सरकारी अस्पतालों व सीएचसी में जन औषधि केंद्र की स्थापना के लिए न्यूनतम 120 वर्ग फुट का स्थान मुफ्त दिया जाएगा। साचीज इन केंद्रों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए निगरानी भी करेगा।

से जेनेरिक दवा लिखने के लिए नहीं कहा जा रहा है। क्योंकि डॉक्टरों ने दवा लिखनी शुरू कर दी और वह न मिली तो मरीज परेशान होंगे। एमसीआई ने भी डॉक्टरों को जेनेरिक दवा लिखने के निर्देश दे दिए हैं।